(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 513–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–02–2000 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 214/1995–96

शिवप्रसाद मिश्रा तनय रामप्रताप मिश्रा,
जाति– ब्राह्मण, गॉव–हिनौता, थाना–सभापुर
तहसील–रघुराजनगर, जिला–सतना (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

स्व0 भगवानदीन तनय ब्रजवासी प्रसाद वारिसानः–
1– सुरेश कुमार
2– सनद कुमार
3– शिवकुमार आदि
जति–ब्राह्मण, साकिन–हिनौता,
तहसील–रघुराजनगर, जिला–सतना (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, स्वयं, अनावेदक क्र0 1 एवं अन्य

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/5/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–02–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम हिनौता, तहसील रघुराजनगर, जिला –सतना कि विवादित भूमि सर्वे नं0 78 रकबा 0.72 डिस्मिल यानि उक्त आराजी नम्बर 78 का अंश 0.36 जरिये रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 02.06.76 को उभयपक्षों द्वारा मिलकर क्रय किया गया था तथा दोनों क्रेताओं के भूमियों के बीच मेड़ पर एक महुआ का पेड़ लगा था, जो दोनों के नाम 1/2 के भागीदार थे। बाद में उक्त महुआ के पेड़ पर आवेदक ने कब्जा कर लिया तथा पटवारी द्वारा उक्त पेड़ पर आवेदक का कब्जा दर्ज कर दिया गया । अनावेदकगण द्वारा उक्त पेड़ को पुनः हासिल करने के लिये नायब तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, सतना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/88–89 पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 29.04.1991 से आवेदक के अपील को स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, सतना के उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी/अपील पेश की गई, जो कि प्रकरण क्रमांक 214/95–96 पर दर्ज होकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 09.02.2000 को अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश दिनांक 09.02. 2000 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं फिर भी न्यायहित में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज न करते हुये निगरानी आवेदन में उल्लिखित तथ्यों पर विचार किया गया । उभयपक्षों के बीच विचाराधीन भूमि पर स्थित महुआ का पेड़ दोनों के नाम पर 1/2 के भागीदार थे । उभयपक्षों के बीच आपसी समझौता होने से महुआ का पेड़ पटवारी द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण दर्ज हो गया तथा तब से लेकर आज तक आवेदक महुआ के पेड़ की देखरेख एवं उपयोग/उपभोग करता चला आ रहा है

परन्तु अनावेदक की नीयत खराब होने के कारण उक्त महुआ के पेड़ पर पुनः अपना हिस्सा लेने के लिये नायब तहसीलदार के समक्ष समय बाह्य आवेदन लगाया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर आवेदक के कब्जे की प्रविष्टि काटने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, सतना के यहॉ प्रथम अपील आवेदक ने प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई तथा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के यहॉ अपील दायर की जहॉ अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया । अपर आयुक्त ने आदेश पारित करते समय इस तथ्य का ध्यान नहीं दिया कि अपील के दौरान ही अनावेदक भगवानदीन की मृत्यु हो चुकी थी तथा उनके पक्ष में आदेश नहीं किया जाना चाहिए था । इस तथ्य पर अपर आयुक्त ने विचार नहीं किया । अतः नायब तहसीलदार का एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, सतना का आदेश स्थिर रखा जावे ।

4/ सभी अनावेदकों की ओर से अनावेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत तर्क में यह बताया है कि, दिनांक 02.07.1976 को श्री दुर्गाई पुत्र कामता व शिवनाथ पुत्र देवीदीन, निवासी हरदुआ, तहसील बिरसिंहपुर के सामिलात खाते से खसरा क्रमांक 78/1, रकबा 0.72 हैक्टेयर एवं आधा पेड़ महुआ शिवप्रसाद एवं खसरा क्रमांक 78/2 रकबा, 0.72 हैक्टेयर एवं आधा पेड़ महुआ भगवानदीन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी नायब तहसीलदार, वृत्त बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 12–ए/1985–86 में संलग्न है । पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी की इतलावी करते समय जमीन 78/1 एवं 78/2 दोनों पक्षों के नाम पर दर्ज हुआ परन्तु महुआ का पेड़ शिवप्रसाद के खसरे में पूरा दर्ज कर दिया, जबकि जमीन की तरह आधा–आधा महुआ का पेड़ शिवप्रसाद एवं भगवानदीन के खसरे में दर्ज करना था । नायब तहसीलदार, वृत्त बिरसिंहपुर के समक्ष खसरा सुधार हेतु आवेदन पत्र

भगवानदीन द्वारा प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार वृत्त बिरसिंहपुर के आदेश दिनांक 21.03.1989 से खसरे में सुधार का आदेश देते हुये यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि भूमि की तरह महुआ का पेड़ पटवारी द्वारा आधा–आधा (शिवप्रसाद एवं भगवानदीन) को लिखा जाये । शिवप्रसाद के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ वाद प्रस्तुत कर उक्त प्रविष्टि के विरूद्ध अपील दायर की एवं अनुविभागीय अधिकारी ने इस आशय से आदेश दे दिया कि खसरा सुधार का आवेदन पत्र समय बांधित है। तब भगवानदीन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने के निवेदन किया गया । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 09.02.2000 से स्पष्ट किया गया कि महुआ पेड़ उभय पक्षकारों की आराजी के बीच मेड़ में था और पृथक–पृथक रजिस्टर्ड पत्र से आराजी एवं आधा–आधा महुआ का पेड़ क्रय किया गया था, तदानुसार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.04.1991 को निरस्त करते हुये अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया कि पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई प्रविष्टी को स्वयं संज्ञान में लेकर या आवेदन पत्र पर सुधार किया जा सकता है । इसमें समय बाधित की प्रक्रिया लागू नहीं होती है तथा नायब तहसीलदार, वृत्त बिरसिंहपुर के आदेश दिनांक 31.03.1989 को यथावत रखा गया तथा स्पष्ट किया गया कि मध्यप्रदेश शासन भू–अभिलेख विभाग, ज्ञापन क्रमांक 2887/22–6/नव/78 दिनांक 18 अगस्त 1979 के अनुसार पटवारियों की कब्जा लिखने की शक्तियॉ समाप्त कर दी गयी है, जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा तदाशय का आदेश पारित ना कर दिया जाये । अनावेदकगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् अनावेदकगण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा न्यायालय के समक्ष जरिये वकील उपस्थित होते रहे है तथा मुकदमें की पैरवी करते रहे है । अतः आवेदक का यह कहना उचित नहीं है कि अपर आयुक्त ने अपीलार्थी की मृत्यु के पश्चात् कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा मृत पक्षकार के पक्ष में

फैसला किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 09.02.2000 के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार, वृत्त बिरसिंहपुर के आदेश दिनांक 31.05.2000 से विधिवत आधा पेड़ महुआ भगवानदीन एवं आधा पेड़ शिवप्रसाद के अभिलेख में दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश की पूर्ति दिनांक 31.05.2000 को हो गयी है । अंत में अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2000 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ आवेदक द्वारा याचिका आवेदन में वर्णित तथ्यों तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नायब तहसीलदार बिरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.1989 उभयपक्षों के बीच रजिस्ट्री में उल्लेखित अनुसार एवं विधिवत अन्य साक्ष्य लेकर महुआ के पेड़ के 1/2 भाग पर दोनों पक्षों का बराबर कब्जा दर्ज करने तथा पटवारी द्वारा केवल आवेदक के पक्ष में दर्ज प्रविष्टी को निरस्त करने का आदेश दिया । चूँकि नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया यह आदेश पंजीबद्ध विक्रय पत्र तथा प्रकरण में प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों को ग्रहण कर उनकी विवेचना कर दिया गया है। अतः यह आदेश विधिवत है ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 29.04.1991 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील इस आधार पर स्वीकृत की कि नायब तहसीलदार द्वारा समय बाधित आवेदन को स्वीकार करने की त्रुटि की है । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त को प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 09.02.2000 में स्पष्ट विवेचना की है कि उभयपक्षों ने पंजीकृत विलेखों द्वारा बराबर–बराबर भूमि विक्रय की थी । विक्रयपत्रों में यह उल्लेख है कि दोनों भूमियों के बीच में खड़े महुये के वृक्षों का भी आधा–आधा विक्रय किया गया था तथा विक्रय पत्रों के आधार पर

पर नामांतरण हो गया था । हल्का पटवारी द्वारा महुये के वृक्ष पर केवल शिवप्रसाद का कब्जा लिखना गलत था क्योंकि म0प्र0 शासन भू–अभिलेख विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2887/22–6/नो/78 दिनांक 18 अगस्त 1979 के अनुसार पटवारियों की कब्जा जांच कर दर्ज करने की शक्तियॉ समाप्त कर दी गई है । इसलिये इस तिथि के बाद पटवारी द्वारा शिवप्रसाद का कब्जा लिखा जाना अनाधिकृत प्रष्विटी थी । जिसे सुधार करने में नायब तहसीलदार द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त ने नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रख कर एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है । उक्त विश्लेषण के आधार पर नायब तहसीलदार तथा अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखा जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर